

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: 11 (2) 16 / मो./आईसीडीएस/2017-18 5221-253 जयपुर, दिनांक 4-1-18
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त।

विषय:- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को SHG से प्राप्त बेबी मिक्स पूरक पोषाहार एवं गरम पूरक पोषाहार की सूचना माहवार भिजवाने के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक 186364-96 दिनांक 27.11.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में लेख है कि आगामी विधानसभा बजट सत्र में विभाग की वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 छपवाकर वितरण की जानी है। इस हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को SHG से प्राप्त बेबी मिक्स पूरक पोषाहार एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पूरक पोषाहार एवं नाश्ता वितरण की सूचना अंकित किए जाने के संदर्भ में निदेशालय पत्रांक 186364-96 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 15.12.2017 तक भिजवाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आदिनांक तक अपेक्षित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र के अनुसार परियोजनावार एवं माहवार सूचना अलग-अलग प्रपत्र में तैयार कर विभाग की E-Mail jdm.wcd@rajasthan.gov.in व adm.wcd@rajasthan.gov.in पर दिनांक 10.01.2018 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करावें।

संयुक्त निदेशक(मों.)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: 11 (2) 16 / मो./आईसीडीएस/2017-18 5254-557 जयपुर, दिनांक 4-1-18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि परियोजनावार व माहवार अलग-अलग निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार कर शीघ्र संबंधित उपनिदेशक कार्यालय को भिजवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करें।

2. ACP मुख्यालय उक्त पत्र को विभाग निदेशक से
PL उपलब्ध के 21/17

संयुक्त निदेशक (मों.)
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।